

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/
प्रार्थीगण

बनाम

791

दिनांक - 6-4-18

विप्रार्थीगण

1 हसनखां पुत्र अलादीन खां
वगैराह जाति मुसलमान
निवासी जुणेजों मेहरों की
बस्ती भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 हुक्काराम पुत्र हीराराम वगैराह जाति जाट
निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती भाड़खा तहसील
व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 101/2016 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जुणेजों मेहरों की बस्ती पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 346 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 910/347 रकबा
420.00 बीघा कुल रकबा 421.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर

पेक्षकायन की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे
एक हजार मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 6-4-18

क्रमांक :- रीडर/2018/

792 - 795

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हसनखां पुत्र अलादीन खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हुक्काराम पुत्र हीराराम वगैराह जाति जाट निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर